



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक १८]

मंगलवार, डिसेंबर १५, २०२०/अग्रहायण २४, शके १९४२

[पृष्ठे २०, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) प्रथम परन्तुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. LIV OF 2020.**A BILL**

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF
THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR
ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2021.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५४ सन् २०२०।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२१ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२१ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२० कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की समेकित
निधि में से वित्तीय
वर्ष २०२०-२०२१
के लिये,
२ खरब,
१९ अरब,
९२ करोड़,
५१ लाख,
८३ हजार
रुपये निकालना।

विनियोग।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, उन्नीस अरब, बानबे करोड़, इक्यावन लाख, तिरासी हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में सन् २०२१ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जाएगी।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२१ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमों जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
क—राजस्व लेखे पर व्यय सामान्य प्रशासन विभाग					
ए-२	निर्वाचन।	.. २०१५, निर्वाचन।	२,२९,७६,०९,०००		२,२९,७६,०९,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	.. २०५१, लोक सेवा आयोग।		१,०००	१,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	{ २०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	४,४०,०९,०००		४,४०,०९,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	{ २२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	१,०००		१,०००
ए-७	सिविल विमानन।	.. ३०५३, सिविल विमानन।	५०,००,००,०००		५०,००,००,०००
कुल—सामान्य प्रशासन विभाग			२,८४,१६,१९,०००	१,०००	२,८४,१६,१९,०००
गृह विभाग					
बी-१	पुलिस प्रशासन।	{ २०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	८४,९४,३८,०००		८४,९४,३८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	.. २०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	.. ३,९९,००,०००	.. ३,९९,००,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, आंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन।	३,९९,००,००० १०,०९,००,९०,०००	३,९९,००,००० १०,०९,००,९०,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	२५,००,०००	२५,००,०००
बी-५	जेल।	.. २०५६, जेल।	.. २,४९,६८,०००	.. २,४९,६८,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	२,५०,००,०३,०००	२,५०,००,०३,०००
बी-८	बाढ़ नियंत्रण तथा विकास।	२७११, बाढ़ नियंत्रण तथा विकास।	.. ३,९९,००,०००	.. ३,९९,००,०००
कुल—गृह विभाग। ..			१३,५३,७९,९९,०००	१३,५३,७९,९९,०००
राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	५,९९,३४,०००	५,९९,३४,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन।	.. २०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	.. १०,००,००,०००	.. १०,००,००,०००

सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	२,५९,४०,०००	...	२,५९,४०,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	२२,११,७७,०२,०००	...	२२,११,७७,०२,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	२२,२९,५३,७६,०००	...	२२,२९,५३,७६,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ।	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	११,१३,५१,००,०००	...	११,१३,५१,००,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	८,४६,६६,०००	...	८,४६,६६,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	..	१,३६,०१,०००	...	१,३६,०१,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	११,२३,३३,६७,०००	...	११,२३,३३,६७,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा।	विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग। २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२,२७,७६,५४,०००	...	२,२७,७६,५४,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	४४,७९,२६,०००	...	४४,७९,२६,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	..	२,७२,५५,८०,०००	...	२,७२,५५,८०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		नगरविकास विभाग	
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	{ २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	.. ६,०९,९३,०१,००० २,५०,००० ६,०९,९५,५१,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	६,०९,९५,५१,०००
		वित्त विभाग	
जी-४	सचिवालय - सामान्य सेवाएँ।	.. २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	१,००,०२,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	.. २०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	१,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	२,००,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	३,००,०३,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग	
एच-३	आवास।	.. २२१६, आवास।	१,००,००,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	१२,५१,००,००,०००
		{ २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	१,००,००,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।		१,००,००,००,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	१४,५१,००,००,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-१	न्याय प्रशासन।	..	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	८,३१,५६,०००	३,०३,०४,०००	११,३४,६०,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	..	{ २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१,७७,५०,०००	..	१,७७,५०,०००

कुल—विधि तथा न्याय विभाग।

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-४	श्रम तथा नियोजन।	..	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	३,०००	..	३,०००
के-६	ऊर्जा।	..	{ २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	..	१,०००	..	१,०००
के-७	उद्योग।	..	{ २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	..	५०,००,००,०००	..	५०,००,००,०००
		..	कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	५०,००,०४,०००	..	५०,००,०४,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	..	{ २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	५,११,२९,२०,०००	..	५,११,२९,२०,०००
		..	कुल—ग्रामविकास विभाग।	..	५,११,२९,२०,०००	..	५,११,२९,२०,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम।	..	२४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम।	..	३,५१,३०,५८,०००	..	३,५१,३०,५८,०००
		..	कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	३,५१,३०,५८,०००	..	३,५१,३०,५८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये					
सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग										
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	५,००,००,००,०००	५,००,००,००,०००					
		२२०२, सामान्य शिक्षा।								
		२२१६, आवास।								
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।								
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	{	१८,४९,१६,७९,०००	१८,४९,१६,७९,०००					
		२२१० चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।								
		२२११, परिवार कल्याण।								
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।								
		२२१७, नगर विकास।								
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।								
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।								
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।								
		२२३६, पोषण।								
		२४०१, कृषि कर्म।								
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।								
		२४०३, पशुपालन।								
		२४०५, मत्स्योद्योग।								
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।								
		२४०८, खाद्य भण्डारकरण तथा गोदाम।								
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।								
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।								
		२५०५, ग्राम नियोजन।								
		२८०१, विद्युत।								
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा।								
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।								
		२८५२, उद्योग।								
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।				२३,४९,१६,७९,०००	२३,४९,१६,७९,०००			

योजना विभाग

ओ-२	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२३५,	८०,००,००,०००	...	८०,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	५०,०४,०००	...	५०,०४,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	३४५४,	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	३४५४,	१२,२७,६६,०००	...	१२,२७,६६,०००
		२२०२,	सामान्य शिक्षा।	२२०२,			
		२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	२२०३,			
		२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	२२०४,			
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।	२२०५,			
		२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०,			
		२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५,			
		२२१७,	नगर विकास।	२२१७,			
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार।	२२२०,			
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५,			
		२२३०,	श्रम तथा नियोजन।	२२३०,			
		२२३६,	पोषण।	२२३६,			
		२४०३,	पशुपालन।	२४०३,			
		२४०४,	दुग्ध उद्योग विकास।	२४०४,			
		२४०५,	मत्स्य उद्योग।	२४०५,			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।	२४०६,			
		२४२५,	सहकारिता।	२४२५,			
		२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	२५०१,			
		२५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	२५१५,			
		२७०२,	लघु सिंचाई।	२७०२,			
		२८०१,	विद्युत।	२८०१,			
		२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	२८१०,			
		२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	२८५१,			
		३०५४,	सड़क तथा पुल।	३०५४,			
		३४५१,	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,			
		३४५२,	पर्यटन।	३४५२,			
		३६०४,	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४,			
ओ-४२	जिला योजना -अहमदनगर।				१,०००	...	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये	
ओ-५२ जिला योजना -नॉदेड।	{	२२०२, सामान्य शिक्षा।	{	४,०००	४,०००	
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२११, परिवार कल्याण।				
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
		२२१७, नगर विकास।				
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०३, पशुपालन।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२४२५, सहकारिता।				
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
		२७०२, लघु सिंचाई।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				
कुल—योजना विभाग।			९२,७७,७५,०००	९२,७७,७५,०००		

२२१६, आवास ।
 २२१७, नगर विकास ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

•

•

•

•

48,90,000

कुल-आवास विभाग।

48,90,000

•

48,90,000

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
 २२११, परिवार कल्याण ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
 २२११, परिवार कल्याण ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

•

•

•

•

20,93,08,000

कुल-लोकस्वास्थ्य विभाग।

20,93,80,49,000

•

•

•

•

20,95,80,49,000

एएस-१ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । .. २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
कल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।

•
•
•
•

2,92,88,66,000

कल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।

2,62,22,66,000

•

•

•

•

2,72,26,000

२०५९,	लोक निर्माण कार्य।	
२२०२,	सामान्य शिक्षा।	
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	
२२११,	परिवार कल्याण।	
२२१५,	जलआपूर्ति तथा स्वच्छता।	
२२१७,	नगर विकास।	
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
२२३०,	श्रम तथा नियोजन।	
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
२४०१,	कृषि कर्म।	

२०५९, लोक निर्माण कार्य ।
 २२०२, सामान्य शिक्षा ।
 २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
 २२११, परिवार कल्याण ।
 २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता ।
 २२१७, नगर विकास ।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।
 २४०१, कृषि कर्म ।

4,28,23,23,000

•

•

•

4,28,23,23,000

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन ।		५,२४,१३,१३,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग ।	...	५,२४,१३,१३,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग		
वी-२	सहकारिता ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ । ३४५६, सिविल अपूर्ति ।	११,२२,०९,०००	११,२२,०९,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	...	११,२२,०९,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-२ सामान्य शिक्षा।	..	२२०२,	सामान्य शिक्षा।	..	१,०००	..	१,०००
डब्ल्यू-३ तकनीकी शिक्षा।	..	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	..	३०,००,००,०००	..	३०,००,००,०००
डब्ल्यू-४ कला तथा संस्कृति।	..	२२०५,	कला तथा संस्कृति।	..	२,०००	..	२,०००
कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				..	३०,००,०३,०००	..	३०,००,०३,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	{	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	{	१४,५९,४६,०१,०००	..	१४,५९,४६,०१,०००
		२२३६,	पोषण।		..	..	..
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।		६१,९७,०००	..	६१,९७,०००
एक्स-२ सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	१४,६०,०७,९८,०००	..	१४,६०,०७,९८,०००
कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।				..	१४,६०,०७,९८,०००	..	१४,६०,०७,९८,०००

कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग

जैड-क-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण सेवाएँ।	{	२२०३,	तकनीकी शिक्षा ।	{	१,०००	५,५३,२२,०००	५,५३,२३,०००
		२२३०,	श्रम तथा नियोजन ।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ,				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन ।				
			कुल— कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग ।				
					१,०००	५,५३,२२,०००	५,५३,२३,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१ संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११,	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	..	३१,०७,२०,०००	..	३१,०७,२०,०००
कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				..	३१,०७,२०,०००	३१,०७,२०,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	{	२०७०,	{	अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	..	१,०००	..	१,०००
		२२२०,		सूचना तथा प्रचार।				
		२२५१,		सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
		२२०५,		कला तथा संस्कृति।				
जेड घ-२ कला तथा संस्कृति।				कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	..	३८,५०,०८,०००	..	३८,५०,०८,०००
					..	३८,५०,०९,०००	..	३८,५०,०९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		अल्पसंख्यक विकास विभाग		
		२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।		
		२०५३, जिला प्रशासन।		
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	१५,०१,०००	१५,०१,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	...	...
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीव।		
		कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	१५,०१,०००	१५,०१,०००
		अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।		
		२२१६, आवास। २२५१, सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीव। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२८,००,०००	२८,००,०००
		जेट छ-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ। जेट छ-३ विमुक्त जाति, खानाबदोश जन जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण।	३,०८,०८,९२,०००	३,०८,०८,९२,०००
		कुल— अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।	३,०८,३६,९२,०००	३,०८,३६,९२,०००
		कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय।	८,५८,७७,०००	८,५८,७७,०००
		ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय		
		सामान्य प्रशासन विभाग		
		४०५९, लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	१९,७३,००,०००	१९,७३,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	१९,७३,००,०००	१९,७३,००,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	३५,३३,००,०००	...	३५,३३,००,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५००२, भारतीय रेल (वार्गिज्यिक लाईन) पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—गृह विभाग।	३५,३३,००,०००	...	३५,३३,००,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	...	९,९८,५५,०००	९,९८,५५,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	...		
		६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।	...		
		कुल— राजस्व तथा वन विभाग।	...	९,९८,५५,०००	९,९८,५५,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	३४,५२,८८,०००	...	३४,५२,८८,०००
		६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।			
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	३४,५२,८८,०००	...	३४,५२,८८,०००

नगरविकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	८,७७,१४,००,०००	...	८,७७,१४,००,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—नगरविकास विभाग	८,७७,१४,००,०००	...	८,७७,१४,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
लोक निर्माण कार्य विभाग					
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२२,५५,००,०३,०००	२२,५५,००,०३,०००
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,१८,१२,६७,०००	१,१८,१२,६८,०००
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।			
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२१,८६,०००	२१,८६,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।		१,०००	२३,७३,३४,५७,०००

जलस्रोत विभाग

आय-५ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४,००,००,१७,०००	..	४,००,००,१७,०००
	४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	कुल—जलस्रोत विभाग।	..	४,००,००,१७,०००	..	४,००,००,१७,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-७ ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,०६,०१,००,०००	..	३,०६,०१,००,०००
	५०५४, सडक तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	६२१६, आवास के लिए कर्ज।	..	..	..	..
	कुल—ग्रामविकास विभाग।	..	३,०६,०१,००,०००	..	३,०६,०१,००,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-४ खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२८,५०,००,००,०००	..	२८,५०,००,००,०००
	कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	२८,५०,००,००,०००	..	२८,५०,००,००,०००

सामाजिक, न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-४ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,००,००,००,०००	..	१,००,००,००,०००
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	..	..	..
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,००,००,००,०००	..	१,००,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण के लिये कर्ज।			
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	१,००,००,००,०००	१,००,००,००,०००
		योजना विभाग			
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४,८६,८७,२९,०००	४,८६,८७,२९,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग और लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	,	३,०००	३,०००
ओ-४३	जिला योजना—अहमदनगर।				

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२०-२०२१ के संबंध के कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	१,४४,७३,२०,५९,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	. .	७५,१९,३१,२४,०००
कुल	. .	२,१९,९२,५१,८३,०००

मुंबई,
दिनांकित १५ दिसंबर २०२०।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।